

अंयत अधिकारी का कार्यालय बाधमार

आदेश फनक

मापी अभिनैख सं० 04 / 18-19

आवेदक - नन्द किशोर सिंह

पितापति - स्व० मौती सिंह

सा० - राधानगर

जिला - धनबाद

20

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
9/5/18	<p align="center">आवेदक नन्द किशोर सिंह पिता-स्व० मौती सिंह सा० - राधानगर जिला - धनबाद के द्वारा मौजा-राधानगर मौजानं० 303 खातानं० 14 प्लॉटनं० 396 तथा खातानं० 160 तथा प्लॉटनं० 690 एवं 696 कुल रकवा 87 डी० अमी मापी काने हेतु अमुरोध किया गया है। उक्त आवेदन पत्र एनका कर्मचारी का जॉब प्रतिवेदन अंयत निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन किया गया है कि मौजा - राधानगर मौजानं० 303 खातानं० 14 प्लॉटनं० 396 रकवा 0.87 ए० अमी रेंपती खाते की है। जिसका स्वतिसम एवं लगान रबीफ जमावंदी सं० 09 में पद्मवान सिंह के नाम से निर्गत हो रहा है। तथा वर्ष 2014-15 तक लगान रबीफ निर्गत है। आवेदक द्वारा समर्पित वंशावली के अनुसार उक्त प्लॉट में आधा अंश 0.43 1/2 ए० होता है।</p> <p align="center">उक्त एनका कर्मचारी एवं अंयत निरीक्षक के जॉब प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक से एक दिन का मापी शुल्क जमा करने के पश्चात अंयत अमीन को प्रतिगुप्त करें।</p>	<p align="right">अंयत अधिकारी बाधमार</p>
9.5.18	<p>अभिनैख उपस्थापित किया गया। आवेदक नन्द किशोर सिंह पिता-स्व० मौती सिंह सा० - राधानगर जिला - धनबाद के द्वारा मापी शुल्क 740 = 00 लात लेने चापीय रूप से जमा किया गया।</p>	<p align="right">अंयत अधिकारी बाधमार</p>

प्रमाणित किया गया / प्रमाणित किया गया
 प्रमाणित किया गया / प्रमाणित किया गया
 प्रमाणित किया गया / प्रमाणित किया गया
 प्रमाणित किया गया / प्रमाणित किया गया

अग्रिमोत्तर उपस्थापित किया गया जोला, शम्भानगर थाना सं० 303
 खाता न० 14। प्लॉट 396 कुवा 87 बी० अग्नि माप्ती करने का आवेदन
 प्राप्त था। मैंने आवेदानुसार प्लॉट 5-4-19 को खाल पर पढ़ुंयकर
 आवेदक मन्दविबोर सिंह पिता मृत मोती सिंह साठ शम्भानगर से
 भेदकर उनके काजगातों को देना काजगात होने से पता मसा वि
 खाता न० 14 के स्वतियानी रूयत पहसाव सिंह पिता मशू सिंह वौराजगति
 स्वामी मुलका सिंह पाति अग्नी अंश वमान दर्त है। मन्दविबोर
 सिंह स्वतियानी रूयत का वंशज बताया जाता है। मैंने ग्रामीण
 अक्ला से प्लॉट को सर्वेक्षण करने हुए प्लॉट न० 396 को माप्ती
 कर सीमाकेत सरिया और आवेदक एवं उनके अग्र अंबीरीरो
 को दिखला दिया। आवेदक एवं ग्रामीणों में कफा वि अत्र साठ
 का आपसी बंटवारा हो चुका है। फिर भी आपस में हरिजा
 कमी वेशी को लेकर लड़ते रहते हैं। इसलिए दखल के
 अनुसार सीया मापका देना जाय दखल के अनुसार माप्ती करने
 से पता चला कि 10 बी० कार्द और 22.75 बी० मकान अग्र लदन
 एवं जोडा एक है। कुल 32.75 बी० आवेदक का होता है। जबकि
 आवेदक साठ अत्र प्लॉट में आपा अंश यानी 43.5 बी०
 का दावा करते हैं। अक्ला में 87 बी० अग्नि को साठ रेखा
 से घेरकर तथा आवेदक के दखली हरिजा को रेखा A" B"
 से दर्शाया जाता है। माप्ती के समय आवेदक महुका थाना के
 पुलिस दल अग्रिमोत्तर एवं आवेदक के विपक्षी लोग भी उपस्थित थे।

अतः अग्रिमोत्तर की कारवाई समाप्त की जाती है
 28/11/2020
 अंगल अधिकारी
 अग्निमाप